

# 11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

पत्रांक 2257 / 12-1

दिनांक, गोपेश्वर, 14/12/2021

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग, थराली।

विषय:- नारायणबगड़ किमोली मोटर मार्ग के किमी 0 8 से नैणी मल्ली, मुसाउड्यार-बूंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.346 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, प्रस्ताव का परीक्षण करने पर प्रस्ताव में कतिपय कमियां पायी गयी जो निम्नानुसार प्रेषित है:-

- 1- संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में नाप भूमि 3.394 है०, सिविल में 0.952 है० तथा आरक्षित भूमि 4.346 है० भूमि की आवश्यकता है, जबकि आप द्वारा लैण्ड शैड्यूल आरक्षित वन भूमि 2.774 है०, लैण्ड शैड्यूल में सिविल भूमि 0.682 है० व नाप भूमि 0.957 है० दर्शाया गया है। दोनो में आ रही भिन्नता का स्पष्ट औचित्यपूर्ण विवरण दे।
- 2- वैकल्पिक समरेखण में आ रहे 1180 वृक्षो की सूची भी प्रस्ताव में संलग्न करे।
- 3- आप द्वारा प्रस्ताव में परियोजना के नाम में सिविल भूमि 0.952 है० अंकित है, जबकि लैण्ड शैड्यूल में सिविल भूमि 0.682 है० अंकित है।
- 4- बारचार्ट में पूर्व में निर्मित मोटर मार्ग का नाम अंकित नहीं किया गया है।
- 5- मक डिस्पोजल प्लान में सड़क से उत्पादित मलवे का आंकलन कम किया गया है, पुनः मलवा निस्तारण योजना का आंकलन कर मक डिस्पोजल प्लान प्रस्ताव में संलग्न करे। मलवा निस्तारण योजना में मलवे हेतु ली गयी भूमि सिविल सोयम व आरक्षित वन भूमि का उल्लेख लैण्ड शैड्यूल में नहीं किया गया है।
- 6- पातन होने वाले वृक्षो का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। वन क्षेत्राधिकारी नारायणबगड़ कार्यालय से प्रपत्र प्राप्त करे।

अतः उपरोक्त कमियो का निराकरण करने के उपरान्त वन भूमि हस्तान्तरण मार्ग दर्शिका पुस्तिका में दिये गये प्रपत्रो के अनुसार प्रस्ताव तैयार करते हुए प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करे। ताकि उक्त प्रकरण में यथोचित कार्यवाही की जा सके।

निर्गमनार्थ प्राधिकृत

भवदीय,

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर (चमोली)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- 2257 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमी पिण्डर रेंज, नारायणबगड़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समरेखण में पातित होने वाले वृक्षो का प्रमाण पत्र प्रस्तावक विभाग को यथाशीघ्र प्रेषित करे।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

निर्गमनार्थ प्राधिकृत

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर  
(चमोली)